(c) whether it is a fact that present patent law of the country is a constraint in providing desired incentives to Scientists and Engineers?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DR. MURLI MANOHAR JOSHI): (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Transfer Guidelines for Teachers and Principals of Kendriya Vidyalayas

2878. SHRI PARAG CHALIHA: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that transfer guidelines in respect of teachers, principals, etc. of Kendriya Vidyalayas as approved by the Board of Governors on 21st July, 1998, have been amended recently;

(b) if so, the details of amendments made, alongwith the relevant justification in each case;

(c) whether these amendments have been approved by the Board of Governors its meeting held on 19th March, 1999; and

(d) if not, the validity of the amendments?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DR. MURLI MANOHAR JOSHI): (a) Yes Sir.

(b) Copies or pre-amended and amended transfer guidelines are given in the annexure (*See* Appendix 186, Annexure No. 51). The amendments to the guidelines have been made in order to bring about greater degree of objectivity, transparency and satisfaction to the teachers seeking transfers.

(c) and (d) The Minister of HRD in his capacity as Chairman, KVS has approved the amendments in transfer guidelines as per rules.

केन्द्रीय विद्यालय संगठन और इसके शासी निकाय का गठन

2879. **श्री गोविन्दराम मिरी:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय विद्यालय संगठन और इसके शासी निकाय के गठन से संबंधित विभिन्न प्रावधानों सहित इसके वर्तमान सदस्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कर्मचारी संघों को इसमें प्रतिनिधित्व देने का कभी निर्णय लिया था;

(ग) यदि हां, तो कब;

(घ) क्या वह निर्णय अभी लागू है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस निर्णय को कब वापस लिया गया और इसके क्या कारण है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ङ) जी, हां। कर्मचारी संघों को अगस्त, 1990 में संगम ज्ञापन के तत्कालीन मौजूदा नियम 3(ख) एवं 19(9) के अंतर्गत प्रतिनिधित्व देने का निर्णय लिया गया था और दिसम्बर, 1991 में नामांकन तीन वर्षों की अवधि के लिए किये गये थे। बाद में 6 सितम्बर, 1993 को आयोजित अपनी बैठक में शासी बोर्ड ने केन्द्रीय विद्यालय संगठन और उसके शासी बोर्ड में अ॰जा॰ एवं अ॰ज॰जा॰ को नामांकन प्रदान करने के लिए मा॰सं॰वि॰ मंत्रालय में अनु॰जा॰ एवं अ॰ज॰जा॰ के कल्याण संबंधी संसदीय समिति से प्राप्त एक प्रस्ताव पर विचार करते समय नामांकनों के लिए प्रावधानों के मुक्त स्वरूप को समाप्त करने के लिए नियम 3(ख) को हटाने का संकल्प पारित किया ताकि संगठन को बोझिल होने से बचाया जा सके। इसी प्रकार, नियम 19(9) को यह सुनिश्चित करने के लिए संशोधित किया गया था कि ऐसे नामांकनों में अ॰जा॰/अ॰ज॰जा॰ से कम से कम एक सदस्य और एक महिला शामिल किये जाएंगे। केन्द्रीय विद्यालय संगठन के संगम ज्ञापन और नियमों के नियम 3(ख) को हटाने तथा नियम 19(9) को संशोधित करने के लिए फरवरी, 1996 में भारत सरकार द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया था।